भारत गणराज्य की सरकार तथा इक्वाडोर गणराज्य की सरकार के बीच सांस्कृतिक सहयोग करार

भारत गणराज्य की सरकार तथा इक्वाडोर गणराज्य की सरकार (जिन्हें आगे संविदाकारी पक्ष कहा गया है),

घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध स्थापित और विकसित करने की संयुक्त इच्छा से प्रेरित होकर

और

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जन स्वास्थ्य, जन संचार, पर्यटन और खेल के क्षेत्रों सहित कला, संस्कृति, पुरातत्व, शिक्षा के क्षेत्रों में भारत और इक्वाडोर के बीच हर संभव तरीके से संबंध और समझ बढ़ाने और विकसित करने की इच्छा से,

निम्नलिखित पर सहमत हैं :

अनुच्छेद 1

संविदाकारी पक्ष, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, अनुसंधान एवं जन स्वास्थ्य, सूचना एवं शिक्षा का जन संचार, पर्यटन, खेल तथा क्रीड़ा के क्षेत्रों में शैक्षिक कार्यकलाप सहित कला एवं संस्कृति, पुरातत्व, शिक्षा के क्षेत्रों में एक-दूसरे की संस्कृति और कार्यकलापों की बेहतर जानकारी में सहयोग करने के उद्देश्य से उक्त क्षेत्रों में सहयोग में सहायता देंगे और सहयोग को बढ़ावा देंगे।

अनुच्छेद 2

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष, एक-दूसरे के क्षेत्र में संबंधित कानूनों, विनियमों तथा सामान्य नीति के अनुरूप सांस्कृतिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं और यह स्पष्ट है कि ऐसा कोई संस्थान स्थापित करने से पहले संबंधित सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त की जाएगी। ऐसे संस्थानों की स्थापना से संबंधित ब्यौरे, इस करार के प्रवृत्त होने के बाद बातचीत से किए जाने वाले अतिरिक्त प्रोटोकॉल के माध्यम से दोनों देशों के बीच तय किए जाएंगे।

अनुच्छेद 3

संविदाकारी पक्ष निम्नलिखित को प्रोत्साहित करेंगे और उनमें सहायता करेंगे :

क) व्याख्यानों, अध्ययन दौरों तथा विशेष पाठ्यक्रमों हेतु प्रोफेसरों तथा विशेषज्ञों के परस्पर दौरे।

ख) शैक्षिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, कलात्मक, खेल तथा पत्रकार संघों और संगठनों के प्रतिनिधियों के परस्पर दौरे; और

ग) कांग्रेस, सम्मेलनों, संगोष्ठियों तथा सेमिनारों में भागीदारी।

अनुच्छेद 4

संविदाकारी पक्ष निम्नलिखित को प्रोत्साहित करेंगे और उनमें सहायता करेंगे :

क) कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में तथा फिल्म, वृत्तचित्र, रेडियो तथा दूरदर्शन जैसे जनसंचार माध्यमों के क्षेत्र में आदान–प्रदान।

ख) विज्ञान, शिक्षा, खेल, पुरातत्व के क्षेत्रों में सामग्रियों का आदान–प्रदान; और

ग) पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा अन्य शैक्षिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, सांस्कृतिक, खेल प्रकाशनों का अनुवाद तथा आदान–प्रदान तथा जहां संभव है कलावस्तुओं का आदान–प्रदान।

अनुच्छेद 5

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष, एक–दूसरे के देश के ऐसे विद्यार्थियों तथा वैज्ञानिक कार्मिकों को सुविधाएं तथा छात्रवृत्तियां प्रदान करने का प्रयास करेंगे जो एक–दूसरे के उच्च शिक्षा संस्थानों तथा अनुसंधान प्रयोगशालाओं में अध्ययन करना चाहते हों और व्यावहारिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम करना चाहते हों।

अनुच्छेद 6

संविदाकारी पक्ष, संस्थागत स्वायत्तता को सम्मान देते हुए भावी सहयोग में सहायता करने के उद्देश्य से दोनों देशों में शैक्षिक उपाधियों तथा अन्य अर्हताओं को परस्पर मान्यता देने हेतु एक तन्त्र स्थापित करने की संभावना का सक्रिय रूप से पता लगाने पर सहमत होंगे।

अनुच्छेद 7

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष, रेडियो, दूरदर्शन तथा प्रेस के माध्यम से एक–दूसरे के देश के जीवन और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, दोनों पक्ष उपयुक्त सामग्री और कार्यक्रमों का आदान–प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद 8

संविदाकारी पक्ष निम्नलिखित में सहयोग करेंगे और उन्हें बढ़ावा देंगे :

क) कलाकारों तथा नृत्य और संगीत मंडलियों का आदान–प्रदान;

ख) कला और अन्य प्रदर्शनियों का आदान–प्रदान; और

ग) चलचित्र कला के क्षेत्र में विशेषज्ञों का आदान–प्रदान तथा एक–दूसरे के अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों में भागीदारी।

अनुच्छेद 9

संविदाकारी पक्ष, दोनों देश के बीच खेल की टीमों के दौरों को प्रोत्साहित करेंगे तथा एक–दूसरे के लागू राष्ट्रीय कानूनों, विनियमों के अध्यधीन उक्त टीमों के एक–दूसरे के क्षेत्र में प्रवास तथा आवागमन में सहायता करेंगे।

अनुच्छेद 10

संविदाकारी पक्ष संभावित सीमा तक यह सुनिश्चित करेंगे कि एक–दूसरे के शैक्षिक संस्थानों विशेषतः इतिहास और भूगोल के संबंध में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों में एक–दूसरे के देश के बारे में तथ्यात्मक त्रुटियां या मिथ्या निरूपण नहीं है।

अनुच्छेद 11

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष, एक–दूसरे के कानूनों के अनुसार इस करार के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक एक–दूसरे के देश से उद्भूत होने वाली सभी सामग्रियों के गैर–वाणिज्यिक प्रयोजन से आयात तथा परिचालन में सहायता करेगा।

अनुच्छेद 12

वर्तमान करार के उद्देश्यों के कार्यान्वयन हेतु संविदाकारी पक्षों द्वारा जब भी आवश्यक समझा जाए दोनों सरकारों के समान संख्या में प्रतिनिधियों की एक संयुक्त समिति गठित की जाएगी, जो दोनों पक्षों के बीच यथा सहमति या किसी एक पक्ष के अनुरोध पर तीन वर्ष में कम से कम एक बार बारी–बारी से नई दिल्ली और क्विटो में बैठक करेगी।

संयुक्त समिति निम्नलिखित कार्य करेगी :

क) दोनों देशों में इस करार के कार्यान्वयन की समय–समय पर समीक्षा;

ख) कार्यान्वयन के तौर–तरीकों के संबंध में संबंधित सरकार को परामर्श देना;

ग) सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय तथा शैक्षिक आदान–प्रदान कार्यक्रमों को तैयार करना तथा उनकी समीक्षा।

घ) इस करार की परिधि के भीत्तर उल्लिखित क्षेत्रों में किसी भी पक्ष के हित की किसी भी मद की दूसरे पक्ष को सिफारिश करना; और

ङ) सामान्यतया ऐसे तरीके के बारे में संबंधित सरकार को परामर्श देना कि इस करार के प्रावधानों को किस प्रकार प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।

अनुच्छेद 13

वर्तमान करार, अभिपुष्टि दस्तावेज़ों के आदान-प्रदान की तारीख से प्रवृत्त होगा। यह करार 5 वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगा और तत्पश्चात् तब तक प्रत्येक बार आगे पांच वर्ष की अवधि के लिए स्वतः नवीकृत होता रहेगा जब तक कि कोई एक संविदाकारी पक्ष दूसरे पक्ष को इस करार को समाप्त करने की अपनी मंशा का 6 माह पूर्व लिखित नोटिस न दे।

अधोहस्ताक्षारियों, जो अपनी-अपनी सरकार द्वारा विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिध हैं, ने साक्ष्य के रूप में इस वर्तमान करार पर हस्ताक्षर किए हैं और अपनी मोहर लगाई है।

इस करार पर अट्ठारह जुलाई, दो हज़ार छः (18.07.2006) को नई दिल्ली में हिन्दी, अंग्रेजी तथा स्पेन भाषाओं की दो-दो मूल प्रतियों पर हस्ताक्षर किए गए। सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। सन्देह की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

भारत गणराज्य सरकार की ओर से	इक्वाडोर गणराज्य की सरकार की ओर से
(बादल के. दास)	(कार्लोस एबद)
सचिव,	राजदूत,
संस्कृति मंत्रालय	इक्वाडोर दूतावास